

ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न मार्गदर्शिकाओं / मास्टर सर्कुलर / एक्ट के अनुसार मनरेगा व कन्वर्जेन्स के तहत किए जा सकने वाले कार्य :-

(निशांत शर्मा ,खण्ड विकास अधिकारी गोहर)

- नोट :-
1. हर कार्य के आगे राशि व जगह का नाम लिखना होता है ।
 2. यदि किसी कार्य में नव निर्माण होना है तो सिर्फ "निर्माण" लिखा जाएगा ।
अन्यथा "अपवर्धन/मुरम्मत" लिखा जायेगा (जरूरत अनुसार)।
 3. 60 :40 का अनुपात विकास खंड स्तर पर मेंटेन किया जाए ।
 4. हर भवन के साथ शौचालय निर्माण उसका भाग ही होता है ,उसके लिए अलग से शेल्फ डालने की जरूरत नहीं होती ।

सार्वजनिक कार्य :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	शेल्फ में क्या लिखना है
1	गो सदन के निर्माण के लिए	निर्माण सामुदायिक पशुशाला
2	पंचायत की दुकाने बनानी हों या व्यापार से सम्बन्धित भवन	निर्माण ग्रामीण हाट.....
3	सरकारी स्कूलों की चार दिवारी	निर्माण कम्पाउंड वाल
4	महिला मंडल भवन,महिला शोपिंग काम्प्लेक्स	महिला सहायता समूह के लिए भवन निर्माण.....
5	ग्रामीण क्षेत्रों में फलों /अनाज के संग्रहण के लिए भवन	गुप्तों के लिए कृषि उत्पाद भंडारण भवन.....
6	जल संरक्षण के सभी कार्य	निर्माण चेक डेम ... निर्माण गली प्लग निर्माण रिचार्ज पिट निर्माण तालाब निर्माण वर्षा जल संग्रहण टैंक निर्माण कन्टूर ट्रेंच निर्माण स्टेगर्ड ट्रेंच
7	पंचायत भवनों का निर्माण / अपवर्धन	निर्माण/मुरम्मत पंचायत भवन
8	खाना बनाने के लिए किचन शेड (खाना खाने के लिए हॉल बनाने के साथ)	निर्माण सामुदायिक किचन शेड.....
9	आगनबाडी व स्कूलों के नजदीक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण	निर्माण शौचालय

10	सार्वजनिक शौचालय के लिए आई राशि की मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करके बनाना	निर्माण सार्वजनिक शौचालय (कन्वर्जेंस)
11	स्वच्छता के सभी कार्य	निर्माण ठोस कचरा गड्ढा..... निर्माण जल निकासी ड्रेन..... निर्माण सोक पिट (सोखता गड्ढा)..... निर्माण कचरा संग्रहण केंद्र
12	स्कूल भवन का निर्माण	निर्माण साइक्लोन शेल्टर ,राजकीय
13	रेन शेल्टर का निर्माण	निर्माण साइक्लोन शेल्टर (रेन शेल्टर).....
14	आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	निर्माण आंगनवाड़ी केंद्र (कन्वर्जेंस)
15	शमशान घाट/मोक्ष धाम का निर्माण	निर्माण मोक्ष धाम/शमशान घाट
16	ग्रामीण सम्पर्कता के सभी कार्य (सड़क,पुल ,पक्के रास्ते)	a.ग्रामीण सम्पर्कता - निर्माण / अपवर्धन/मुरम्मत सड़क..... से (सड़क,मिटटी मुरम, WBM,बिटुमिन,इंटर लोक ,कंक्रीट ,खड्डून्जा इत्यादि) b.ग्रामीण सम्पर्कता - निर्माण/अपवर्धन पक्का रास्तासे c. ग्रामीण सम्पर्कता - निर्माण पुल
17	सार्वजनिक भूमि का सौन्दर्यीकरण /भूमि को समतल करना	सामुदायिक भूमि सुधार.....
18	पोधारोपण व फेंसिंग करनी हो	पौधारोपण.....
19	मकान (जो आवासीय योजनाओं में स्वीकृत हुए हों)	आवासीय योजना के अंतर्गत मकान निर्माण (कन्वर्जेंस)
20	खेल मैदान,फेंसिंग व स्टेडियम इत्यादि	निर्माण खेल मैदान
21	स्थानीय निवासियों की आजीविका के प्रशिक्षण के लिए भवनों का निर्माण	निर्माण वर्क शेड (गुप्तों की आजीविका के लिए)
22	छोटी सिंचाई योजनायें (जरूरत अनुसार एस्टीमेट में सोलर लिफ्ट,पाइपों ,चेक डेम,टैंक का प्रावधान किया जा सकता है ताकि लोगों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो- सामुदायिक ही होगी,एक परिवार के लिए नहीं)	निर्माण लघु सिंचाई योजना
23	सिंचाई के लिए कूल/नहर	निर्माण सिंचाई कूल/नहर
24	भूमि कटाव से बचाव के लिए	निर्माण नाली
25	भूमि कटाव से बचाव के लिए नदी नालों के साथ (स्थान की जरूरत के अनुसार)	a. निर्माण CC / मेसनरी चेक डेम ... b. निर्माण चेक डेम.....

		c. निर्माण बोल्टर चेक डेम.... d. निर्माण गेबियन चेक डेम.... e. निर्माण स्पर..... f. निर्माण क्रेटवाल
26	पंचायत/विकास खण्ड स्तर पर मनरेगा से सम्बन्धित कार्यो ,ग्राम सभा ,रिकॉर्ड संधारण , प्रशिक्षण इत्यादि ।	निर्माण भारत निर्माण सेवा केंद्र

बड़े कार्य करवाने हैं तो शेल्व में क्या क्या लिखना है (प्रोजेक्ट बनाकर ,विभिन्न योजनाओं की कन्वर्जन्स करते हुए कार्य करना) :-

1. यदि पार्क बनाना हो :-

- पौधरोपण(लाइव फेंसिंग ,Ornamental Plants ,पेड़ पौधे)
- निर्माण तालाब
- निर्माण महिला स्वयम सहायता समूह भवन
- निर्माण पक्का रास्ता(एक्यु प्रेशर पाथ,स्टोन पाथ इत्यादि)
- निर्माण खेल मैदान
- निर्माण सामुदायिक किचन शेड
- निर्माण साइक्लोन शेल्टर(रेन शेल्टर).....
- निर्माण ग्रामीण हाट
- निर्माण ठोस कचरा गड्ढे
- निर्माण जल निकासी ड्रेन
- निर्माण सामुदायिक भूमि सुधार
- निर्माण सार्वजनिक शौचालय (कन्वर्जन्स).....
- निर्माण सड़क (इंटर लोकिंग,स्टोन इत्यादि जो भी बनानी हो)

2. यदि बड़ा मोक्ष धाम बनाना हो :-

- निर्माण मोक्ष धाम(लाइव फेंसिंग ,Ornamental Plants ,पेड़ पौधे)
- पौधरोपण
- निर्माण साइक्लोन शेल्टर(रेन शेल्टर).....(बैठने के लिए स्टेडियम व स्टोर का निर्माण भी साइक्लोन शेल्टर के साथ किया जा सकता है ।)
- निर्माण पक्का रास्ता
- निर्माण सामुदायिक भूमि सुधार
- निर्माण जल संग्रहण टैंक (या जरूरत अनुसार कुंआ)

- h. निर्माण चेक डेम
- i. निर्माण सामुदायिक भूमि सुधार.....

3. यदि स्कूल केम्पस में कार्य करवाने हों :-

- a. निर्माण साइकलोन शेल्टर राजकीय
- b. निर्माण खेल मैदान
- c. निर्माण वर्षा जल संग्रहण टैंक
- d. निर्माण सामुदायिक किचन शेड.....
- e. निर्माण ठोस कचरा गड्ढा.....
- f. निर्माण जल निकासी ड्रेन.....
- g. पौधारोपण
- h. निर्माण कम्पाउंड वॉल.....
- i. निर्माण शौचालय.....

4. बहु उद्देशीय भवन बनाने हों :- (उपर दी गयी लिस्ट से विभिन्न भवनों को जरूरत के अनुसार शेल्टर में लिखकर निर्माण एक ही जगह करवाया जा सकता है ।)

5. पेयजल / सिंचाई की सुविधा के लिए(जरूरत अनुसार) :-

- a. निर्माण चेक डेम
- b. निर्माण टैंक
- c. निर्माण लघु सिंचाई योजना

6. सड़कों के किनारे रेन शेल्टर , दुकान व शौचालय का इकट्ठा निर्माण करना हो :-

- a. निर्माण साइकलोन शेल्टर (शौचालय भी इसी में बन जाएगा)
- b. निर्माण ग्रामीण हाट

7. सड़कों के साथ पौधारोपण का कार्य भी किया जा सकता है ।

8. आंगनवाड़ी केंद्र -

- a. आंगनवाड़ी केंद्र
- b. शौचालय
- c. खेल मैदान
- d. पौधारोपण
- e. निर्माण सामुदायिक किचन शेड
- f. निर्माण वर्षा जल संग्रहण टैंक

8. किसी गाँव के सम्पूर्ण विकास के लिए (उपर दी गई लिस्ट से सड़क,रास्ते, सिंचाई सुविधाएँ,जल संरक्षण के कार्य ,विभिन्न भवनों के कार्य ,लोगों के कृषि व पशुपालन के कार्य

करवाकर गांवों की सड़क सम्पर्कता, पानी की जरूरत, आर्थिक प्रगति, स्वच्छता इत्यादि पर कार्य करके गाँवों का सम्पूर्ण विकास करवाया जा सकता है। शेलफ में वो सब चीजें लिखनी होती हैं।)

इसी प्रकार रचनात्मक तरीके से मनरेगा का प्रयोग किया जा सकता है व प्रोजेक्ट बनाकर कार्य किये जा सकते हैं।

निजी कार्य :-

	कार्य क्या होंगे	शेलफ में क्या लिखना है
1.	खेत निर्माण के लिए (अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए)	निर्माण भूमि सुधार
2.	टैंक	निर्माण टैंक
3.	पशु शाला (बकरी शेड, काऊ शेड, पोल्ट्री शेड इत्यादि) व पशुपालन सम्बन्धी कार्य	a. निर्माण पशु शाला..... b. निर्माण CUPTF... c. निर्माण फिशरी पॉड(मत्स्य पालन तालाब)
4.	वर्मी कम्पोस्ट पिट	निर्माण वर्मी कम्पोस्ट पिट.....
5.	घर के पास डंगा लगाना हो	भूमि सुधार (घर के समीप सुरक्षा दीवार).....